वैष्णवशैक्षणिकसमितीतिहारी,जिलाअजमेर

(निर्धनप्रतिभावान अध्ययनरतछात्र—छात्राओंको शैक्षणिकसहायतावर्ष 2013–14 हेतु)

दिशानिर्देश

- 1. आवेदक अजमेर संभाग जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक जिले शामिल हैं, का मूलनिवासी होना चाहिए।
- 2. आवेदकवैष्णवसमाजबावनगौत्र काहीहोनाचाहिए।
- 3. चतुर्थ श्रेणी सेउपर के राज्य/निगम /बोर्ड/केन्द्र के कर्मचारियों के आश्रितआवेदनहेतुपात्र नहीं होंगे।परिवारकीवार्षिकआय 2 लाख से कम होनीचाहिए।
- 4. बी.पी.एल., विकलांग, ग्रामीण क्षेत्र (तहसील स्तरसे नीचे)एवंमहिलाआवेदकोकोप्रत्येक श्रेणी के लिये5 प्रतिशतबोनसअंक देय होंगे।बोनसअंको की अधिकतमसीमाकानिर्धारणसमितीअपनेविवेकसेकरेगी।
- कक्षामें की अध्ययनरतहें एवंजिनकीआर्थिकस्थिति 5. विधवायेंजिनकीसंताने 10 वींसेउपर खराबहैवेअपनीसंतानों नामसेअलग–अलगआवेदनपत्र भरें । जिनविधवाओं की संताने 10 वीं या इससेनीचे की कक्षाओंमें अध्ययनरतहैंवेस्वयंआवेदनपत्र निसंतानविधवायेंआवेदनपत्र भरने के लियेपात्र नहींहोंगी । लेकिन ऐसीनिसंतानविधवायेंजो 10 वीं / पढाईकरनेमें सक्षमहैंवेआवेदनकरसकतीहैं एवंडससेउच्चस्तर की ।विधवा श्रेणी लियेन्युनतमअंकोकीकोईबाध्यतानहींरहेगी ।
- 6. 10 वीं / 12वीं एवंस्नातक / स्नात्तकोत्तरस्तर केआवेदको,कोशैक्षणिकसहायतामेरिट के आधारपरदीजावेगी । 10 वीं / 12वीं,स्नातक एवंस्नात्तकोत्तरआवेदको के लिए कमशः 70%; 65%;60%एवं 60%अंकहोनेअनिवार्यहोंगे ।
- 7. आवेदक 10 वीं व उससेउपर की कक्षाओंकाविवरण शैक्षणिकयोग्यतावालेकॉलममेंदेंगे व 10 वीं व उससेउपरकीसभी कक्षाओंकी अंकतालिका की फोटोप्रतिलगायेंगे । इसकेअलावाराशनकार्ड, मूलिनवास प्रमाणपत्र, नवीनतमबिजलीकाबिल, किसीराजपत्रित अधिकारी द्वारा या तहसीलकार्यालय द्वाराजारीआय प्रमाणपत्र एवंबोनसअंकप्राप्तकरने के लियेआवश्यक दस्तावेजों की सिर्फफोटोप्रतिसंलग्नकरें । विधवा श्रेणी के आवेदकसिर्फराशनकार्ड एवंपित के मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटोप्रतिसंलग्नकरें ।
- 8. वर्ष 2013-14 मेंअध्ययनरत कक्षा की फीस की रसीदया अध्ययनरतहोने के साक्ष्य मेंकोईभीदस्तावेजकीफोटोप्रतिसंलग्नकरें ।
- 9. आवेदनपत्र के साथिकसीभीदस्तावेजकीमूलप्रतिनहींलगावें ।
- 10. जिनछात्राओं की स्कूल / कॉलेज व कोचिंग / प्रशिक्षणसंस्थानअपनेनिवासस्थानसेकाफीदूरहैं व आने—जाने की परेशानी की वजहसे उनके अध्ययन मेंबाधापहुँचरहीहै ऐसीछात्रायेंअपनीसमस्या व शैक्षणिकस्थितिकाविस्तारसेउल्लेख करतेहुयेअलगसेसादेकागजपरआवेदनकरें । ऐसीछात्राओं के लियेन्यूनतमअंक व आय सीमा की कोईबाध्यतानहींहै।समितीइनकीइससमस्या के समाधानपरिवचारकरेगी ।
- 11. आवेदन"संयोजकश्रीकिशनलालवैष्णवC/0श्रीशिवप्रसादवैष्णव, सी–447, पंचशीलनगर, माकड्वालीरोड्, अजमेर (राजस्थान)"कोडाक / कोरियर द्वाराभिजवायेजासकतेहैं।आवेदनमेंकोईसूचनागलतपाईजानेपरआवेदननिरस्तकरिदयाजाऐगा।आवेदनिनांक01.09.2013 से31.12.2013तकडाक / कोरियर द्वाराउपरोक्तपतेपरपहुँचजानेचाहिए।िदनांक01.09.2013 सेपहले व दिनांक31.12.2013कं बादप्राप्तहोनेवालेआवेदनपत्रोंपरिवचार नहीं कियाजाएगा।
- 12. पुरूष्कारिवतरणवर्गवार,कक्षावार,कानिर्धारणसिमतीअपनेविवेकसेकरेगी।आवेदकचाहीगईसहायता के लियेदोविकल्पआवेदनपत्र की कालम संख्या —14मेंभरें व स्पष्टकरेंकिचाहीगईसहायता उनके उच्च अध्ययन मेंकिसप्रकारसहायकहोगी ।इसमेंसिमतीकानिर्णय अंतिमहोगा।
- 13. निर्धनप्रतिभावान अध्ययनरतछात्र—छात्राओं की पढाईलिखाई के सबंध मेंउनकीसहायताकिसप्रकार की जासकतीहैं,इसकेलिए सुझावआमत्रिंतहैं ।अतःअपनेसुझावअवश्य देने की कृपाकरें ।सबसेश्रेष्ठसुझावदेनेवालेको 1100 / –रूपयेनगदपुरूष्कारस्वरूपप्रदानिकए जाऐंगे ।सुझावअलगपेजपरभीदियेजासकतेहैं ।
- 14. उक्तकार्यक्रमकोसफलबनााने केलिए सभीसमाजबंधुओंसेमार्गदर्शन/समर्थन/सुझाव एवंआर्थिकसहयोगआमंत्रित/ अपेक्षितहैं।
- 15. विधवा श्रेणी के आवेदकोंकोछोडकरअन्य सभीआवेदकआर्थिकरिथतिकीतथ्यात्मकरिपोर्टसंलग्नकरें ।
- 16. आर्थिकस्थितिकीतथ्यात्मकरिपोर्टसमाज के किन्हीदोप्रतिष्ठितव्यक्तियोंसेप्रमाणित एवंहस्ताक्षरितहोनीचाहियेजिनमेंसे एक व्यक्तिसमाज की किसीसमिती या संस्थाकापदाधिकारीहो व दूसराव्यक्तिसरकारीकर्मचारीहो।
- 17. किसीप्रकार के स्पष्टीकरण के लियेसंयोजकसेसम्पर्ककरें।

किशनलालवैष्णव(संयोजक) मोबाईलनम्बर 9829162357